फा. सं. सीबीईसी - 20/16/04/2018 - जीएसटी
भारत सरकार
वित्त मत्रांलय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
जीएसटी पॉलिसी विंग

****

नई दिल्ली, दिनांक 23 अप्रैल 2019

सेवा में,
प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त/केंद्रीय कर के आयुक्त (सभी)
प्रमुख महानिदेशक/महानिदेशक (सभी)

महोदया/महोदय,

विषय: जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के संबंध में स्पष्टीकरण।

धारा 49 में संशोधन किया गया और धारा 49 क और धारा 49 ख को केंद्रीय माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत अंतः स्थापित किया गया है [इसके बाद सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम के रूप में उल्लिखित किया गया है।] संशोधित प्रावधान 1 फरवरी 2019 से प्रभाव में आये है।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 49क (बाद में सीजीएसटी अधिनियम के रूप में संदर्भित) के लागू होने के कारण करदाताओं के सामने आने वाली चुनौतियों के संबंध में व्यापार और उद्योग से विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। एक विशेष क्रम में एकीकृत कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के आदेश के कारण मुद्दा उत्पन्न हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में एक प्रकार का कर (जैसे राज्य कर) के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा होता है और अन्य प्रकार के कर की के लिए देयता का निर्वहन (जैसे केंद्रीय कर) इलेक्ट्रॉनिक कैश खाताबही के माध्यम से जमा किया जाता है। तदनुसार, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 49ख के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या 16/2019-केंद्रीय कर, 29 मार्च, 2019, को जारी करके नियम 88क को केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (इसके बाद सीजीएसटी नियम के रूप में संदर्भित किया गया है) में अंतः स्थापित किया गया था, कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 168 (1) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों के प्रयोग में, इस मुद्दों को नियमानुसार स्पष्ट करता है।

3. सीजीएसटी अधिनियम की अंतः स्थापित धारा 49 क में प्रावधान है कि केंद्रीय कर / राज्य कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट से पहले किसी भी कर देयता के निर्वहन के लिए एकीकृत कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 49 के प्रावधानों के अनुसार, एकीकृत कर के क्रेडिट का उपयोग अनिवार्य रूप से पहले एकीकृत कर, फिर केंद्रीय कर और फिर राज्य कर देयता हेतु इसी क्रम में भुगतान के लिए उपयोग किया जाता है। इसके कारण कुछ मामलों में, जहां करदाता को इलेक्ट्रॉनिक नकद बहीखाता के माध्यम से एक प्रकार के कर (राज्य कर) के कारण अपनी कर देनदारी का निर्वहन करना पड़ता है, जबकि अन्य प्रकार के कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट (केंद्रीय कर कहा जाता है) इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बही में अप्रयुक्त रहता है।

4. सीजीएसटी नियमों में अंतः स्थापित नियम 88 क केंद्रीय कर, राज्य कर और केंद्र शासित प्रदेश कर या जैसा भी हो, के भुगतान के लिए एकीकृत कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग किसी भी क्रम में करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि केन्द्रीय कर या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग करने से पहले एकीकृत कर के पूरे इनपुट टैक्स क्रेडिट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त नियम के अंतः स्थापित होने के बाद, इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग का क्रम नीचे दिए गए आदेश (अंकों के) के अनुसार होगा:

इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण	एकीकृत कर के कारण आउटपुट कर दायित्व	केंद्रीय कर के कारण आउटपुट कर दायित्व	राज्य कर / संघ राज्य क्षेत्र कर के कारण आउटपुट कर दायित्व
एकीकृत कर	(I)	(II) - किसी भी क्रम में और किसी भी अनुपात में	
(III) ***एकीकृत कर के खाते पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अनिवार्य रूप से समाप्त किया जायेगा***			
केन्द्रीय कर	(V)	(IV)	अनुमति नहीं
राज्य कर / केंद्र शासित प्रदेश कर	(VII)	अनुमति नहीं	(VI)

5. निम्नलिखित दृष्टांत सीजीएसटी नियमों में अंतः स्थापित नियम 88 क के प्रभाव को और स्पष्ट करेगा:

उदाहरण:

<u>विभिन्न टैक्स शीर्षों के तहत उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि और विभिन्न करों के अधीन आउटपुट देयता</u>

शीर्ष	आउटपुट देयता	इनपुट टैक्स क्रेडिट
एकीकृत कर	1000	1300
केन्द्रीय कर	300	200
राज्य कर / संघ राज्य क्षेत्र कर	300	200
कुल	1600	1700

विकल्प 1:

इनपुट टैक्स क्रेडिट का कारण	एकीकृत कर के कारण आउटपुट कर दायित्व का निर्वहन	केंद्रीय कर के कारण आउटपुट कर दायित्व का निर्वहन	राज्य कर / संघ राज्य क्षेत्र कर आउटपुट के कारण आउटपुट कर दायित्व का निर्वहन	इनपुट टैक्स क्रेडिट बचा हुआ
एकीकृत कर	1000	200	100	0
एकीकृत कर के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए				
केन्द्रीय कर	0	100	-	100
राज्य कर / केंद्र शासित प्रदेश कर	0	-	200	0
कुल	1000	300	300	100

विकल्प 2:

इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण	एकीकृत कर के कारण आउटपुट कर दायित्व का निर्वहन	केंद्रीय कर के कारण आउटपुट कर दायित्व का निर्वहन	राज्य कर / संघ राज्य क्षेत्र कर के कारण आउटपुट कर दायित्व का निर्वहन	इनपुट टैक्स क्रेडिट बचा हुआ
एकीकृत कर	1000	100	200	0
एकीकृत कर के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरी तरह समाप्त किया गया है				
केन्द्रीय कर	0	200	-	0
राज्य कर / केंद्र शासित प्रदेश कर	0	-	100	100
कुल	1000	300	300	100

6. वर्तमान में, साधारण पोर्टल सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने से पहले के प्रावधानों के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के आदेश का समर्थन करता है, यानी सीजीटी अधिनियम की धारा 49क और धारा 49ख के अंतः स्थापन से पूर्व के प्रावधान हैं। इसलिए, जब तक सीजीएसटी नियमों के अंतः स्थापित नियम 88 ए के अनुसार इनपुट क्रेडिट के उपयोग का नया आदेश साधारण पोर्टल पर लागू नहीं हो जाता, तब तक करदाता अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग साधारण पोर्टल पर उपलब्ध कार्यक्षमता के अनुसार करना जारी रख सकते हैं।

7. यह अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र की सामग्री के प्रचार के लिए उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किए जा सकते हैं।

8. इस परिपत्र के कार्यान्वयन में कठिनाई, यदि कोई हो, तो को बोर्ड के ध्यान में लाया जा सकता है। हिंदी संस्करण का अनुसरण किया जाए।

(उपेंद्र गुप्ता)
प्रधान आयुक्त (जीएसटी)